स्थायी–निर्देश क्रं0 96/2021

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर छत्तीसगढ़

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, वाणिज्यिक कर–जीएसटी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0

क्रमांक / वाकआ / 08 / कम्प्यू. / 34 (सांविधिक फार्म) / 2021 / 10059 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13/10/2021

प्रति,

अपर आयुक्त (समस्त)
उपायुक्त (समस्त)
सहायक आयुक्त (समस्त)
वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (समस्त)
....

विषय :– सांविधिक फार्मस् के संबंध में।

जैसा कि विदित है केन्द्रीय विक्रय कर नियम 1957 के नियम 12 के उपनियम 7 के अनुसार फार्म "C", "F" "E-I" एवं "E-II" घोषणा पत्र विहित अधिकारी के समक्ष 3 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 के कर निर्धारण प्रकरणों का निवर्तन हो चुका है परन्तु वर्तमान में यह पाया गया है कि वर्ष 2015–16 के अवसान के 5 वर्ष पश्चात भी उक्त सांविधिक फार्म हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा रहे हैं एवं वर्ष 2015–16 के पहले की अवधियों के लिए भी उक्त सांविधिक फार्म हेतु आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा रहे है। उल्लेखनीय है कि नवीन कर प्रणाली GST लागू होने के 03 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं एवं कर अधिकारियों द्वारा नई प्रणाली में भी कार्य की अधिकता है अतः ऐसे सांविधिक फार्मस को जारी किये जाने की अवधि को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है अतः वर्ष 2015–16 तक की अवधि हेतु वांछित सांविधिक फार्म के लिए आवदेन की अंतिम तिथि उक्त उपनियम के परन्तुक द्वारा प्राधिकार के प्रयोग में दिनांक 31.10.2021 निर्धारित की जाती है तदनंतर उक्त अवधियों हेतु सांविधिक फार्म हेतु आवेदन नहीं किये जा सकेंगे। इसी प्रकार वर्ष 2016–17 के पर्यवसान को भी 4 वर्ष हो चुके हैं अतः उपरोक्त पृष्ठभूमि में वर्ष 2016–17 के लिए सांविधिक फार्म हेतु आवेदन की अंतिम तिथि पूर्वोक्त प्राधिकार द्वारा दिनांक 10.11.2021 निर्धारित की जाती है तदनंतर उक्त अवधि के लिए कोई आवदेन ऑनलाईन प्रस्तुत नही किये जा सकेंगे। तदनुसार यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समुचित व्यापार सूचना प्रसारित किया जावे।

आयुक्त,
राज्य कर
छत्तीसगढ़, रायपुर